-:: आवासीय ::-

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भवन का उपयोग वही किया जायेगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भवन में प्रचलित भवन विनियमों से सम्बंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगें, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डो की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भवन को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा।
3. भवन के विक्रय/हस्तान्तरण के क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लि राशि ए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय प्रपत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टा धारक के उक्त उत्तराधिकारी के मामले में कोई देय नही होगी।
4. पट्टा विलेख को केन्द्र/राज्य सरकार /जीवन बीमा निगम//ऋणदायी संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की आवश्यकता नही होगी।
5. भवन निर्माण विस्तार प्रचलित विनियमों के मानदण्डो के तहत करना होगा।
6. पट्टाकर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुर्नगठन भु-उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात नियम विरूद्ध तथा तथ्य छूपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया हे तो उक्त भूखण्ड का पट्टा स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
8. पट्टा जिन नियमों तहत जारी किया गया है इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागु होगी।
9. पट्टा धारक सभी प्रकार के प्रभारो का संदाय करना होगा, अभ्यर्पण से पूर्व भूखण्ड/भवन पर सभी प्रकार की देयता व वचनबधता प्रभावी रहेगी भूखण्ड के पेटे कोई भी बकाया प्रभार व वसूलनीय होगा।
10. यह पट्टा विलेख भूखण्ड का स्वामित्व का दस्तावेज है, भवन के निर्माण के नियम व भवन नियम स्वीकृति का प्रमाण नही होगा।
11. 69.क के तहत आवेदक/आवेदिका से पट्टा राशि 501/- रूपये, उपविभाजन शुल्क राशि 9828/- रूपये, एकीकरण शुल्क राशि 9825/- रूपये, जरीये रसीद संख्या 99/01 दिनांक 28/03/2023 से जमा कर ली गई है।
12. यह पट्टा विलेख जारी होने उपरान्त आज से पुर्व इस सम्पति से संबंधित समस्त दस्तावेज निष्क्रीय माने जायेंगें।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रतिफल राशि।

-:: साईट प्लान::-

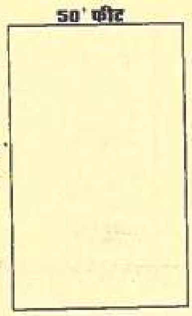

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

उत्तर	:- अजीतराज, कनकराज वगै.
दक्षिण	:- रविन्द्रकुमार/चम्पालाल
पूर्व	:- केसूराम/हजारीमल वगै.
पश्चिम	:- रास्ता

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

साक्षी :-
हस्ताक्षर ....
नाम/पता: ....

उप पंजीयक
देसूरी (पाली)

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका सादड़ी

अध्यक्ष
नगरपालिका सादड़ी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।